कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 12–03–2021

बैठक कार्यवृत दिनांक 12–03–2021

दिनांक 12–03–2021 को 7.30 pm पर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 बाबत आयोजित समीक्षा बैठक में उपरिथति निम्नानुसार रही ;–

1– श्री विकास सोलंकी उपायुक्त नगर पालिक निगम–रतलाम,
2– श्री सुरेशचन्द्र व्यास–प्र0कार्यपालन यंत्री,
3– श्री जी.के. जायसवाल–प्र0कार्यपालन यंत्री,
4– श्री एम.के. जैन – प्र0सहायक यंत्री,
5– श्री श्याम कुमार सोनी – ,,
6– श्री अरविंद दशोत्तर – ,,
7– श्री जसवन्त जोशी–प्र0सचिव,
8– श्री रामचन्द्र शर्मा–प्र0कार्यालय अधीक्षक,
9– श्री बी.एल. चावरे–स्थापना प्रभारी,
10– श्री सुहास पंडित – उप यंत्री,
11– श्री भैयालाल चौधरी ,,
12– श्री सिद्धान्त सोनी ,,
13– श्री मनीष तिवारी ,,
14– श्री विकास सिंह मरकाम ,,
15– सुश्री दीक्षा निजामपुरकर ,,
16– श्रीमती अनिता ठाकुर ,,
17– श्री किरण कुमार चौहान, प्र0स्वच्छता निरीक्षक,
18– श्री कपिल मारोठिया, सिटी मिशन मैनेजर,
19– श्री नितिन तिवारी, ,,
20– श्री धर्मेन्द्र दोगाया–उद्यान पर्यवेक्षक,
21– श्री अनिल पारा–उद्यान पर्यवेक्षक,
22– श्री जितेन्द्र सिसोदिया फिल्टर अटेंडेंट,
23– श्री विजय कपूर–सहा.राजस्व निरीक्षक,
24– श्री वासुदेव बैरागी – समयपाल,
25– श्रीमती मौनिका चौहान–उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,
26– श्री जय उपाध्याय ,,
27– श्री तरूण राठोड़ ,,

Scanned with CamScanner

28– श्री आशीष चौहान उपस्वच्छता पर्यवेक्षक

29– श्री विराट गेहरा ,,

30– श्री प्रमोद तिवारी–स्टेनोग्राफर,

31– श्री हेमन्त बंदोड़िया–स्थायीकर्मी,

32– श्री नवीन बैरागी–कंप्युटर आपरेटर,

33– श्री मनोज टांक–देवेभो, स्वास्थ्य वि0,

34– श्री फिरोज परवेज–आस्था–आईईसी संस्था,

35– श्री राहुलसिंह राठौर– ,, ,, ,,

बैठक में सर्वप्रथम यह अवगत कराया गया कि आजपर्यन्त स्पाट फाईन हेतु गठित टीम के द्वारा 50 माइक्रॉन से कम मोटाई की लगभग 1 टन पॉलीथीन जप्त की गई है। जिसका सभी के द्वारा स्वागत किया गया । साथ ही उक्त अभियान निरन्तर चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

नीचे जमीन पर बैठकर सब्जी आदि बेंचने वाले के पास से पॉलीथीन जप्त होने पर उन पर रू0 50/– का स्पाट फाईन वसूल किया जावे । दुकान के सामने खुले में कचरा होने या पॉलीथीन जप्त होने पर उस पर रू0 500/– का स्पाट फाईन व बड़े दुकानदार, बड़े होटल/रेस्टोरेन्ट, नर्सिंग होम, मैरिज गार्डन आदि के बाहर ,खुले में कचरा मिलने पर रू0 5000/– का स्पाट फाईन किया जाय ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अन्तर्गत सौंपे गए दायित्व हेतु सभी को तत्परता पूर्वक कार्य करके रतलाम शहर को नम्बर 01 बनाने के लिए निरन्तर काम करना है हर वार्ड क्षेत्र से डोर टू डोर सम्पूर्ण कचरा उठना, कचरे का सेग्रीगेशन होना व नाले–नालियों की सफाई करवाया जाने व रात्रिकालीन सफाई कराने का कार्य करवाया जाए । इन कार्य हेतु अतिरिक्त लैबर लगाये जाने की यदि आवश्यकता हो तो वह लगाये जावें । साथ ही किराये पर जेसीबी, डंपर अथवा पोकलेन आदि लगाये जाने की आवश्यकता लगे तो वह भी कुछ समय के लिए लगाये जावें, उसका रिजल्ट भी बढ़िया होगा।

वार्ड नंबर 03,07,08,17,18 व 19 के साथ ही दिनांक 13–03–2021 (शनिवार) से डोर टू डोर कचरा संग्रहण अन्तर्गत जीरो वेस्ट के पायलट प्रोजेक्ट में वार्ड नं0 14 व वार्ड नं0 41 में भी उक्त कार्य शुरू किया जाय । जिसमें कचरा संग्रहण वाहन के साथ रैगपिकर्स, आईइसी आस्था संस्था के सदस्य व संबंधित वार्ड के वार्ड प्रभारी, स्वच्छता निरीक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, वार्ड की मानीटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक एवं वार्ड के उप यंत्री रहेंगे । इसमें यह सुनिश्चित किया जावे कि हर घर से कचरा कलेक्शन 100 प्रतिशत किया जाय तथा कचरे

Scanned with CamScanner

का सेग्रीगेशन किया जावे । वार्ड नं0 14 के सुखे कचरे की एसएसजी के द्वारा छंटनी का कार्य वार्ड नं0 17 हेतु नियत स्थल ईश्वर नगर स्कूल के पीछे (हम्माल कॉलोनी) वाले मैदान में तथा वार्ड नं0 41 के कचरे की छटनी भी इसी प्रकार उक्त स्थल पर की जावे।

मानीटरिंग अन्तर्गत लगे कलेक्शन वाहन द्वारा किये गए कलेक्शन में सुखा कचरा एवं गीला कचरा, लगायी गई ट्रीप की संख्या व उसके लगने वाले समय आदि बाबत वार्ड के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया। इसके अन्तर्गत समस्या के निदान हेतु संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देश दिये गए

वार्ड में मानीटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक आने वाली समस्या के संबंध में संबंधित विभाग के प्रभारी अथवा उप यंत्री/स्वच्छता निरीक्षक को अवगत करावें ताकि समस्या का निदान त्वरित रूप से हो सके ।

पश्चात् चर्चा निम्नानुसार निर्देश दिये गए :-

1— सीटी/पीटी के समस्त कार्य पानी, सफाई, प्रकाश एवं अन्य व्यवस्था संबंधी कार्य संबंधित विभाग द्वारा अपने जिम्मे का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

2— नाले—नाली साफ रहे इसके लिए नाला—नाली की सफाई के सम्बन्ध में प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जाकर इसका कार्य करवाया जाय। मैन्युअली जिन नालों की सफाई हो सकती है उनकी मैन्युअली सफाई करवायी जाय व जहां जेसीबी मशीन से ही नाले की सफाई हो सकती है वहां जेसीबी मशीन लगवा करके उससे सफाई करवाने का कार्य करांया जाय । यदि आवश्यकता लगे तो इस हेतु जेसीबी मशीन आदि किराये से लगाकर व अतिरिक्त लैबर लगाये जाकर उक्त कार्य पूर्ण करवाया जावे।

3— डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु 20 वाहन क्रय किये जाने हेतु टेंडर लगाया जाने बाबत श्री सिद्धान्त सोनी उप यंत्री द्वारा यह कार्य किया जाय।

4— जुलवानिया स्थित निकाय के ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि की सीमा में कोई भी रैगपिकर्स व कबाड़ी न रहे, इन्हें जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड की शासकीय भूमि से हटाया जावे तथा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड भूमि के सीमांकन का कार्य शीघ्र करवाया जाय ।

5— आस्था संस्था द्वारा iec गतिविधियों के कार्य हेतु सदस्य संख्या में वृद्धि की जावे ।

6— रात्रीकालीन सफाई व कामर्शियल एरिया की सफाई का कार्य प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा करवाया जावे।

7— सहयोगी संस्था "आस्था" के सदस्यों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के जीरो वेस्ट वार्डो (वार्ड नम्बर 03,07,08,14,17,18,19 व 41) में घर—घर जाकर प्रचार किया जाय कि नाला—नाली में कचरा नहीं डालें एवं सुखा व गीला कचरा पृथक—पृथक डस्ट बिन में रखा जावे । साथ ही डस्ट बिन अपने मकान के गेट के बाहर रखा जावे ताकि एसएसजी सदस्य/स्वच्छता दीदी द्वारा डस्ट बिन उठाकर कचरा वाहन में डाला जा सके। SSG सदस्यों द्वारा भी सेग्रीग्रेशन हेतु प्रचार किया जावे ।

8— पाइप लाइन लीकेज की दुरूस्ती करवांयी जाए व सड़कों के गड्ढों जिसमें सीवरेज कार्य के दौरान हुए गड्ढों आदि की दुरूस्ती का कार्य करवाया जावे।

9— सड़क पर C&D के मलवा उठवाये जाने हेतु टीम लगाकर कार्य करवाया जावे।

10— थावरिया बाजार की पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने का कार्य करवाये जाने हेतु संबंधित को नोटिस दिया जावे ।

11— श्री विकाससिंह मरकाम उपयंत्री द्वारा थावरिया बाजार के यहां उद्यान बनाने हेतु कार्य किया जावे।

12— कचरा संग्रहण वाहन का ड्रायवर के नाम पर आवंटन किया जाय । ड्रायवर ड्रेस व कैप में रहे एवं इन्हें परिचय पत्र बनवा कर दिया जाय ।

14— दरोगा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को खाकी ड्रेस व कैप उपलब्ध करवायी जाने के साथ ही इन्हें परिचय पत्र बनवा कर दिया जाए । साथ ही स्पाट फाईन की टीम को परिचय पत्र उपलब्ध करवाने का कार्य उपायुक्त नगरपालिक निगम द्वारा करवाया जाय ।

15— भविष्य में 10 वीं उत्तीर्ण को दरोगा रखा जाना है को खाकी ड्रेस दी जावे।

16— कचरा संग्रहण के कार्य में सुधार किया जाए व 100 प्रतिशत सेग्रीग्रेटेड कचरा लिया जावे तथा इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट दी जावे। आस्था आईईसी संस्था के सदस्यों को निर्देश दिये जावें कि इस हेतु प्रचार—प्रसार कर नागरिकों को जागरूक किया जाए।

17— स्पाट फाईन टीम द्वारा जप्त किये गए पॉलीथीन को पांजरापोल पर सुरक्षित रखा जाकर उसकी रजिस्टर में इंट्री की जाय तथा उसको जुलवानिया भेजकर कटर लग करके बोरों में पेक हो जाए यह सुनिश्चित किया जाय ।

18— जब तक प्लास्टिक खत्म नहीं होता है तब तक उससे नाले व नाली प्रदुषित होते हैं व समुद्र में भी प्रदुषण इस प्लास्टिक से हुआ है । ड्राय वेस्ट में जो सबसे बड़ा कचरा देखते हैं वह प्लास्टिक है चाहै कप हो या थेली हो । कोई चाय पिलायेगा व डस्ट बिन में डालेग

Scanned with CamScanner

व वह नाला, नाली में जाएगा । ड्राय वेस्ट व प्लास्टिक वेस्ट पर चर्चा नहीं होती है लेकिन अब होने लगी है ।

अतः जिसके यहां पॉलीथीन के लाट हो उन्हें जप्त करना है तो इस हेतु निकाय का उद्देश्य यह रहेगा कि अगले 3 दिन के अन्दर जो दुकानदार लाट के मान से पॉलीथीन रखते हैं 50 माइक्रान से कम मोटाई का उन्हें जप्त किया जाय जाय व स्पाट फाईन का कार्य किया जाए ।

उक्तानुसार 50 माइक्रान से कम मोटाई का पॉलीथीन दुकान से सामान के साथ में फ्री में मिलता है तो इन्हें जनता द्वारा उपयोग करके फेंक दिया जाता है या इनमें कचरा भर के नाला, नाली में फेंक दिया जाता है । साथ ही यह पॉलीथीन इधर–उधर उड़ता रहता है जिससे नाला–नाली के अवरूद्ध होने, गंदगी की समस्या व पशुओं के द्वारा खा लेने से पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है । अतः जो दुकानदार 50 माइक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन का स्टाक रखते हैं को जप्त कर उन पर स्पाट फाईन की कार्यवाही की जावे । उक्तानुसार 50 माइक्रान से कम मोटाई के पॉलीथीन के प्रतिकुल प्रभाव को देखते हुए इसका भण्डारण न करने व इसके उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए इसे निरूत्साहित किये जाने हेतु नगर निगम की ओर से विज्ञप्ति जारी की जावे।

19— हम सबकी जवाबदारी है कि यदि कोई खुले में कचरा डाल रहा है तो उसका वीडियो डाल दें कि किस लोकेशन पर वह खुले में कचरा फेंका है व उस पर कार्यवाही होगी तो उक्त कचरा फेंकना बंद हो जाएगा। लोगों को बोलिये कि कोई खुले में कचरा फेंकता है तो कमिश्नर साहब के मोबाईल नम्बर 9644000400 पर उक्त वीडियो डाल दें।

20— नीचे जमीन पर बैठकर सब्जी/फ्रुट आदि का व्यवसाय करने वाले से पूछा जाय कि आपको यह पॉलीथीन कहां से मिला । (वे 10–10 रू0 में बंडल बना करके रखते है), ये गरीब तबके के लोग हैं अतः नीचे बैठ कर सब्जी आदि बेंचने वालों पर रू0 50/– से ज्यादा का स्पाट फाईन नहीं किया जावे ।

21— गायत्री हॉस्पीटल व जीवांश हॉस्पीटल को पुनः दुबारा चैक किया जाय व अब यदि उनमें सफाई व्यवस्था संबंधी कोई शिकायत दिखती हो तो स्पाट फाईन किया जाय ।

22— 50 कैप फील्ड वालों को दी जाय ताकि पुलिस जैसा नजर आये । इस हेतु उपायुक्त नगर पालिक निगम को 50 कैप उपलब्ध करवाये जाने हेतु स्टोर वि0 को निर्देशित किये जाने हेतु अवगत कराया गया ।

Scanned with CamScanner

23– शासन आदेशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव करें व सोशल डिस्टेरिंग का पालन करें तथा संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का उपयोग किया जाए इस सम्बन्ध में स्पाट फाईन वाली टीम की गाड़ी से प्रचार किया जाए तथा जो मास्क नहीं पहने हों पर रू0 100/– का स्पाट फाईन किया जाय व उन्हें 2 मास्क दिये जावें । इस हेतु प्रति दिन स्पाट फाईन दल को 100 व्यक्ति हेतु प्रति 2 मास्क के मान से 200 मास्क निकाय से (प्रति दिन) उपलब्ध करवाये जावें ।

इसी प्रकार प्लास्टिक वेस्ट व कचरे बाबत भी स्पाट फाईन टीम की गाड़ी से अनाउंसमेंट किया जाये । इस प्रकार खुले स्थान पर कचरा व विदाउट मास्क वालों को ढूंढा जाय।

24– जीरो वेस्ट वार्ड में कचरा संग्रहण गाड़ियां नियत समय पर पहुंच जाए व 100 प्रतिशत कलेक्शन चालु हो गया तो कचरा आटोमेटिक कम हो जाएगा व इससे दूसरे वार्ड को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में लग जाऐंगे । क्योंकि जब कचरा ही नहीं बचेगा व पब्लिक नाले–नाली पर कचरा नहीं डालेगी तो केवल धुल, मिट्टी व पेड़–पौधों की पत्तियों के लिए सफाई की जरूरत पड़ेगी । सेग्रीग्रेशन 100 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाए ।

25– ताज स्टोन के सामने स्थित नाले पर जाली लगाने के लिए श्री सिद्धार्थ सोनी द्वारा मेजरमेंट लिया जाकर के कार्य करवाया जाए ।

26– शास्त्री नगर में न्यू रोड़ से जायेंगे तो खाली प्लाट पर कचरा है तो इस संबंध में क्षेत्रीय रहवासियों को बताया जाय कि कोई वहां कचरा फॅकता है तो उसका फोटो, वीडियो दें संबंधित का नाम गोपनीय रखा जावेगा या आयुक्त नगर पालिक निगम के मोबाईल नंबर 9644000400 पर खाली प्लाट पर कचरा फेंकने वाला फोटो/वीडियो भेजें ।

27– रेलवे का एरिया भी गंदा न रहे यह भी देख लिया जावे ।

28– श्री बी.एल. चौधरी–उप यंत्री/पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि खातीपुरा आदि क्षेत्र में नाले साफ नहीं हुए हैं, अतः 5–10दिन के लिए पोकलेन मशीन किराये से लेने हेतु श्री विकाससिंह मरकाम को निर्देशित किया गया ।

जिस पर प्र0कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर जे.सी.बी. मशीन भिजवाने व नाला साफ करने हेतु जुलवानिया से पोक लेन मशीन बुलवा कर उससे यह कार्य करवाये जाने हेतु कहा गया ।

29– कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर से कहा जाय कि सेग्रीगेटेड कचरा ही लिया जावे । बता दो कि सेग्रीगेटेड कचरा ही चाहिए ।

उक्तानुसार तथा पूर्व बैठक में दिये गए निर्देशों बाबत एवं समक्ष में दिये गए अन्य निर्देशों के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा उक्त कार्यवृत को निगम वेबसाईट पर अपलोड किया जावे ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0/401/24/नि.स./2021, रतलाम, दिनांक 15–03–2021.

<u>प्रतिलिपि,</u>

1– कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम–रतलाम की ओर अवलोकनार्थ।
2– समस्त विभाग प्रमुख, नगरपालिक निगम–रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12/3/2021
आयुक्त
नगर पालिक निगम.रतलाम